संख्या-126/2019/2225/22-2-2019-17(647)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर ,2019***

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोजन उर्फ रज्जन पुत्र श्री अब्दुल अजीज निवासी जनपद-अयोध्या की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोजन उर्फ रज्जन पुत्र श्री अब्दुल अजीज जो ग्राम-रसूलपुर, थाना-हैदरगंज, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 06.07.1979 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से इस्लाम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/1979 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 19.12.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2003 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2004 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 06.07.1979 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से इस्लाम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रोजन उर्फ रज्जन पुत्र श्री अब्दुल अजीज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रोजन उर्फ रज्जन (बन्दी संख्या-8420/2017) पुत्र श्री अब्दुल अजीज निवासी जनपद-अयोध्या के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-126/2019/2225(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अयोध्या।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-126/2019/2225/22-2-2019-17(647)/2017

दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोजन उर्फ रज्जन पुत्र श्री अब्दुल अजीज जो ग्राम-रसूलपुर, थाना-हैदरगंज, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 06.07.1979 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से इस्लाम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/1979 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 19.12.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2003 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2004 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 06.07.1979 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से इस्लाम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रोजन उर्फ रज्जन पुत्र श्री अब्दुल अजीज को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in